an>

Title: Regarding selling of medicines used for female foeticide through online websites in the country.

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय, देश में ऑन-लाईन द्वारा अवैध दवाइयों की बिक्री की जा रही है। यह जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है। हाल ही में फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने स्नैपडील वैबसाईट पर रोक लगाई थी। यह होने के बावजूद भी अन्य जो वैबसाइट्स हैं, जैसे कि शॉपक्लूस डॉट कॉम आदि, वे बिना प्रिस्क्रिप्शन से मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट बेच रही हैं। गायनाकॉलोजिस्ट प्रिस्क्रिप्शंस के बाद ये दवाइयां दे सकते हैं। इस दवा से 12 हफ्ते तक की प्रेग्नेंसी का एबॉर्शन किया जा सकता है। महोदय, बिना डॉक्टरी सलाह और बिना प्रिस्क्रिप्शंस के ऑन लाइन ब्रिकी पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है। ऐसी दवाएं कन्या भ्रूण हत्या के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में ऐसी दवाओं की बिक्री पर कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कायदों की जिम्मेदारी बताई है। एक ओर देश में कन्या भ्रूण हत्या पर सख्त कानून बनाया जाता है और दूसरी ओर जानलेवा कन्या भ्रूण हत्या की उपयोगी दवाओं की ऑन लाईन बिक्री की जाती है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी वैबसाइटों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary is permitted to associate with the issue raised by Shri Gajanan Kirtikar.

19.00 hrs.